

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1413 / 2011 / हनुमानगढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सलूजा ब्रदर्स, हनुमानगढ़ टाऊन.प्रत्यर्थी.

2. प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) संख्या – 2686 / 2011 / हनुमानगढ़.

मैसर्स सलूजा ब्रदर्स, हनुमानगढ़ टाऊन.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.अप्रार्थी.

3. अपील संख्या – 1415 / 2011 / हनुमानगढ़.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स छाबड़ा राईस मिल, हनुमानगढ़ टाऊन.प्रत्यर्थी.

4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) संख्या – 2687 / 2011 / हनुमानगढ़.

मैसर्स छाबड़ा राईस मिल, हनुमानगढ़ टाऊन.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.अप्रार्थी.

5. अपील संख्या – 2094 / 2011 / बीकानेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राज मोगर फैक्ट्री, 64-ए, रानी बाजार, बीकानेर.प्रत्यर्थी.

6. प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) संख्या – 2465 / 2011 / बीकानेर.

मैसर्स राज मोगर फैक्ट्री, 64-ए, रानी बाजार, बीकानेर.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर.अप्रार्थी.

7. अपील संख्या – 2096 / 2011 / बीकानेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजश्री प्रोडक्ट्स, 83-ए, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर.प्रत्यर्थी.

8. प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन) संख्या – 2464 / 2011 / बीकानेर.

मैसर्स राजश्री प्रोडक्ट्स, 83-ए, इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर.प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, बीकानेर.अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन. एस. राठौड़,

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री सुरेश ओझा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

.....प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28 / 4 / 2014

लगातार.....2

1-4. अपील संख्या-1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.

निर्णय


उपरोक्त चारों अपीलों वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, हनुमानगढ़/वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’, बीकानेर (जिन्हें आगे ‘कर निर्धारण अधिकारी’ कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे ‘अपीलीय अधिकारी’ कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 377 व 379/आरवेट/हनुमानगढ़/2009-10 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 29.12.2010 एवं अपील संख्या 291 व 292/आरवेट/बीकानेर/2009-10 में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 06.01.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा भी अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये हैं।

उपरोक्त चारों अपीलों एवं क्रॉस ऑब्जेक्शन्स में विवाद बिन्दु समान होने से इन प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

अपील संख्या 1413/2011 व 1415/2011 एवं प्रत्याक्षेप संख्या 2686/2011 व 2687/2011 से सम्बन्धित प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारियों के व्यवसाय स्थल का दिनांक 26.8.2008 को सर्वेक्षण किये जाने पर मौके पर लेखा-पुस्तकों में घोषित माल से कम माल पाया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने कम पाये माल (धान व चावल) की उचन्ति बिक्री किया जाना मानते हुए कर व धारा 61(1) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

अपील संख्या	कम पाया गया माल		कम पाये गये माल की कीमत	आरोपित	
	धान	चावल		कर	शास्ति
1413/11	496.36 क्विं.	12.40 क्विं.	4,32,799/-	833/-	22,254/-
1415/11	71.02 क्विं.	36.06 क्विं.	1,17,247/-	4690/-	9380/-

इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थीगण द्वारा राज्य में वैट चुकाकर गेहूं/चावल की खरीद की जाती है एवं उक्त गेहूं/चावल से आटा, मैदा व सूजी का निर्माण कर निर्धारित दर से वैट वसूल कर विक्रय किया जाता है तथा इस विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित भूसी/चौकर (पशु आहार) का करमुक्त विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण के सर्वेक्षण दिनांक 26.8.2008




1—4. अपील संख्या—1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5—8. प्रत्याक्षेप संख्या—2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.

के आधार पर दिनांक 1.4.2008 से 25.8.2008 तक के पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.2.2009 को पारित किये गये। उक्त आदेशों में प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. में से करमुक्त भूसी/चौकर की आनुपातिक बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. कम करते हुए रिवर्स टैक्स व गलत आई.टी.सी. क्लेम हेतु वेट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिसका विवरण निम्न तालिका के अनुसार है :-

अपील संख्या	करमुक्त भूसी की आनुपातिक बिक्री	आरोपित रिवर्स टैक्स	धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति
1413/11	944 क्विंटल	33,640/-	67,280/-
1415/11	549 क्विंटल	19,478/-	38,957/-

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों में, अपीलीय अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही में नियम 51(सी) की पालना नहीं होने से, सर्वेक्षण के समय कम पाये गये माल पर आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया गया तथा करमुक्त भूसी/चौकर की बिक्री के सम्बन्ध में आरोपित रिवर्स टैक्स व शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 590—591/2008/ श्रीगंगानगर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.3.2009 से पूर्णतया आच्छादित होना मानते हुए व्यवहारी की अपीलें स्वीकार करते हुए पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2010 से कर निर्धारण आदेशों को अपास्त किया गया।

इसी प्रकार अपील संख्या 2094/2011 व 2096/2011 एवं प्रत्याक्षेप संख्या 2465/2011 व 2464/2011 से सम्बन्धित प्रकरणों में भी प्रत्यर्थीगण द्वारा राज्य में वेट चुकाकर गेहूं/चावल की खरीद की जाती है एवं उक्त गेहूं/चावल से आटा, मैदा व सूजी का निर्माण कर निर्धारित दर से वेट वसूल कर विक्रय किया जाता है तथा इस विनिर्माण की प्रक्रिया में निर्मित भूसी/चौकर (पशु आहार) का करमुक्त विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण के वर्ष 2006—07 के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 25.3.2009 व 31.3.2009 से प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. में से करमुक्त भूसी/चौकर की आनुपातिक बिक्री के अनुपात में आई.टी.सी. कम करते हुए रिवर्स टैक्स क्रमशः रूपये 92,374/- व रूपये 18,029/- का आरोपण किया गया।



1-4. अपील संख्या-1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.


प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के अपील संख्या 590-591/2008/ श्रीगंगानगर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 13.3.2009 (2009) 23 टैक्स अपडेट 360 के अनुसरण में पृथक-पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.01.2011 से स्वीकार की गई।

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों क्रमशः दिनांक 29.12.2010; 29.12.2010; 06.01.2011 व 06.01.2011 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी व्यवहारीगण द्वारा भी राजस्व की अपीलों के विरुद्ध क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील संख्या 1413/2011 व 1415/2011 के सम्बन्ध में कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये सर्वेक्षण में मौके पर कम पाये गये माल के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कर व शास्ति का आरोपण किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के नियम 51(सी) की पालना नहीं होना मानते हुए इस बिन्दु पर व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गई है।

करमुक्त भूसी/चौकर (पशु आहार) की बिक्री के सम्बन्ध में आरोपित रिवर्स टैक्स व शास्ति के बिन्दु पर कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 का हवाला देते हुए कथन किया गया कि उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने कर बोर्ड के इसी व्यवहारी के प्रकरण में पारित निर्णय (2009) 23 टैक्स अपडेट 360 को आंशिक रूप से अपास्त करते हुए अधिनियम की धारा 18(1) के विशिष्ट प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित करमुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है। अतः माननीय उच्च



लगातार.....5


1-4. अपील संख्या-1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.

न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गेहूं/चावल की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से करमुक्त माल भूसी/चौकर की बिक्री के अनुपात में आगत कर लाभ को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थीगण के प्रकरण के तथ्य मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के प्रकरण के समान होने से व्यवहारी के प्रकरण को माननीय कर बोर्ड के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.3.2009 (2009) 23 टैक्स अपडेट 360 से पूर्णतः आच्छादित होना मानकर प्रत्यर्थीगण द्वारा लिये गये आई. टी.सी. क्लेम को विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित रिवर्स टैक्स को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही ना तो दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गयी, ना ही माल का भौतिक सत्यापन किया जाकर कांटे से वजन करवाया गया है। केवल अनुमान के तौर पर वजन अनुमानित करते हुए मौके पर माल कम होना अवधारित करते हुए कर व शास्ति का आरोपण किया गया है। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 19 टैक्स अपडेट 256 मैसर्स डायमंड मार्केटिंग एजेंसी बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (प्रतिकरापवंचन) उद्धरित किया है। यह भी कथन किया कि माल के वजन में कमी, माल के सूख जाने एवं नमी में कमी की वजह से भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

करमुक्त भूसी/चौकर के विक्रय पर आरोपित रिवर्स टैक्स व शास्ति के बिन्दु पर कथन किया कि व्यवहारीगण द्वारा राज्य के भीतर वेट चुकाकर गेहूं/चावल का क्रय किया जाकर इसका आटा, सूजी व मैदा निर्माण में उपयोग किया गया है तथा इस निर्माण प्रक्रिया का भूसी/चौकर एक आवश्यक


 लगातार.....6

1-4. अपील संख्या-1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.

बाई-प्रोडक्ट है। व्यवहारी द्वारा आटा, सूजी व मैदा विनिर्माण में प्रयुक्त गेहूं के मूल्य पर समग्र आई.टी.सी. विधि अनुसार क्लेम किया गया था, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गेहूं/चावल से निर्मित करमुक्त भूसी/चौकर की बिक्री के आनुपातिक मूल्य पर अधिनियम की धारा 18(ई) के अनुसार आई.टी.सी. क्लेम करना गलत मानते हुए रिवर्स टैक्स आरोपित किया जाकर धारा 61 के तहत इस रिवर्स टैक्स की दुगुनी शास्ति भी आरोपित की गई है, जो विधिसम्मत नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के लिखित अभिकथन के अनुसार व्यवहारी के प्रकरणों के तथ्य व परिस्थितियाँ तथा अन्तर्निहित विधिक बिन्दु मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के प्रकरणों के समान होने के कारण व्यवहारी की अपील को माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 590-591/2008/श्रीगंगानगर के अभिनिर्णय दिनांक 13.3.2009 के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा रिवर्स टैक्स एवं आरोपित शास्ति को उचित रूप से अपास्त किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

अपील संख्या 1413/2011 व 1415/2011 में सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान लेखा-पुस्तकों में घोषित माल से कम पाये गये माल के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 नियम 51 के बाध्यकारी प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ना तो माल का भौतिक सत्यापन किया गया है एवं ना ही दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं, जिन व्यक्तियों को स्वतंत्र गवाह बताया गया है, उन्होंने सशपथ स्वयं को व्यवहारीगण के कर्मचारी होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में उन्हें स्वतंत्र गवाह नहीं माना जा सकता। माल का वजन भी कांटे से नहीं करवाया जाकर अनुमान के तौर पर अंकित किया गया है। इस प्रकार नियम 51 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से इस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी के आदेश न्यायोचित नहीं माने जा सकते। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (2007) 19 टैक्स अपडेट 256 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। निर्णय के सुसंगत अंश पैरा-6 इस प्रकार है :-

 लगातार.....7

1-4. अपील संख्या-1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.

"6. A bare perusal of the Section 77 progressing Clause (a) to (f) of sub-section (1) of the Section 77 of the Act indicates that the authority concerned not below the rank of Inspector of the Commercial Taxes Department authorized by the Commissioner in this behalf has the power to inspect or survey the place of business, to direct such dealer to produce accounts etc., to inspect goods in possession of the dealer, to make search of the place including search of the person, to break open the door of any premises and to record the statement of dealer or his manager etc. All these powers in a sequence have been given to the authority concerned to prevent evasion of the tax. There is no water tight compartment between the different powers of inspection, survey, search and seizure in the said provision. Since such powers of inspection, survey, search and seizure necessarily encroach upon the freedom of the dealer to carry out his business, the Legislature has provided safeguards in the form of further provision made in sub-section (2) of the Section 77 of the Act, which stipulates that for exercise of power under clause (d) and (e) relating to search and breaking open the door, such powers will be carried out only in the presence of an authority not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer. Rule 50 of the Rules framed for laying down the procedure for search and seizure under Section 77 of the Act providing for presence of two witnesses etc., is also with a view to introduce transparency and a sense of responsibility and fairness and to avoid any arbitrariness on the part of the authorities concerned, has provided for presence of two witnesses at the time of search and seizure. Though the words in heading of Rule 50 of the Rules are 'procedure for search and seizure' under Section 77 and sub-rule (1) also uses the word 'search', there is no requirement to restrict such safeguard cases of inspection and survey where stocks taking, verification etc. is done, statements of proprietor or manager of the Firm are recorded, the presence of two independent witnesses would introduce authenticity, transparency, fairness and non-arbitrariness on the part of the dealer as well as authorities concerned. That will also give more authenticity to the statement recorded and physical verification of stocks done etc. Further, since there is no separate rule made for inspection and survey activity under Section 77 of the Act, nor any other safeguards has been provided for these functions under Section 77 of the Act and also for clause (f) which empowers the authority to record the statement of dealer or his manager or servant and to take extract from the record etc., and such activities or functions should also bear the stamp of transparency and fairness, therefore, the safeguards of

लगातार.....8

1-4. अपील संख्या-1413 व 1415 / 2011 / हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096 / 2011 / बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687 / 2011 / हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464 / 2011 / बीकानेर.

Rule 50 of the Rules, namely, presence of two witnesses etc. should be provided to the assessee dealer even during the course of inspection and survey and recording of statements. Whatever statements are recorded, are not only to be required to be signed by the authority conducting the survey, but the same should also be countersigned by the dealer or his authorized representative and such two independent witnesses, so their authenticity may not be questioned later on. There are cases coming to this Court off and on, where the alleged admission of guilt like stated in the present case also by the Revenue, various penalties are imposed, but the assessee may retract from such admission at a later stage before the authority concerned. If such statements are recorded under duress and unnecessary threats, the assessee may retract and retrace from that, giving rise to multiplicity of proceedings and loss of revenue, therefore, applying the measures of Rule 50 to even inspection and survey carried out by the authorities of the Commercial Taxes Department would not only prevent such loss and leakages of revenue, but would also introduce transparency and fairness on the part of the authority as indicated above.

Therefore, the contention of learned counsel for the Revenue that Rule 50 does not apply in the cases of inspection and survey but the same applies only in the cases of search and seizure under the provisions of Section 77 of the Act is not acceptable. Rule 50(2) of the Rules further states that though the accounts, registers and documents may be examined without calling witnesses by the assessing authority empowered under Section 77 of the Act, but in the case of seizure thereof the following procedure shall be adopted, namely, seizure shall be made in the presence of two witnesses. Thus, the action of the revenue authorities under Section 77 of the Act can, therefore, progress from step to step in the same stretch on that very day of survey. This further supports the view taken above that safeguards or measures provided in Rule 50 of the Rules should be taken from the very beginning of the action under Section 77 of the Act. Therefore, the decision of the Tax Board on this issue that Rules would apply only in case of search and seizure and not in the case of inspection and survey is not correct."

राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 77 व नियम 50 एवं वेट अधिनियम की धारा 75 व नियम 51 के सदृश होने की स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के आंलोक में, इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी के निष्कर्षों से यह पीठ पूर्णतः सहमत है एवं इस सीमा तक राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।



1-4. अपील संख्या-1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.

रिवर्स टैक्स व धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय कर बोर्ड के मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर की अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 13.3.2009 (2009) 23 टैक्स अपडेट 360 के विरुद्ध विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193-194/2009 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 8.12.2011 (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पैरा 20, 21 व 22 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

21. Therefore, as far as impugned order of learned Tax Board dated 13.03.2009 to the extent of setting aside the imposition of reverse tax disallowing the proportionate input tax credit is concerned, the same cannot be sustained and deserves to be quashed by this Court, and to that extent the revision petitions filed by the petitioner-Revenue deserve to be allowed.

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."


1-4. अपील संख्या-1413 व 1415/2011/हनुमानगढ़ एवं 2094 व 2096/2011/बीकानेर.
5-8. प्रत्याक्षेप संख्या-2686 व 2687/2011/हनुमानगढ़ एवं 2465 व 2464/2011/बीकानेर.

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अभिनिर्णय में व्यवहारी को करमुक्त उत्पाद के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार करते हुए रिवर्स टैक्स आरोपण की सीमा तक कर बोर्ड का विवादित आदेश दिनांक 13.3.2009 अपास्त किया जाकर व्यवहारी की ओर से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा एवं इसके रिटर्न अथवा विशिष्टियां जानबूझकर प्रस्तुत नहीं करना मानते हुए व्यवहारी के विरुद्ध धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपण को अनुचित मानकर इस सीमा तक कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गई है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई चारों अपीलें रिवर्स टैक्स के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं एवं प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारीगण के विरुद्ध आरोपित रिवर्स टैक्स यथावत पुनः बहाल (Restore) किया जाकर इस सीमा तक अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाते हैं। अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति अपास्त करने सम्बन्धी शेष अपीलाधीन आदेशों को यथावत रखा जाता है। प्रत्यर्थी व्यवहारीगण की ओर से प्रस्तुत प्रत्याक्षेपों (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) को भी तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपील संख्या 1413/2011 एवं 1415/2011 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपील संख्या 2094/2011 व 2096/2011 पूर्णतः स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
28/04/14